अध्याय-9 स्थगन प्रस्ताव.

अध्यक्ष की सम्मति.

53. उन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अविलम्बनीय लोक-महत्व के किसी निश्चित विषय की चर्चा के प्रयोजन से सभा के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से किया जा सकेगा.

54. स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन जबकि प्रस्ताव करने का विचार हो, बैठक के आरम्भ होने के कम से कम दो घंटे पूर्व सचिव को अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को तीन प्रतियों में दी जावेगी जो प्रतियां निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिये होंगी :-

(1) अध्यक्ष,

(2) संबंधित मंत्री, और

(3) सचिव.

प्रस्ताव करने के अधिकार पर निर्बन्धन.

55. अविलम्बनीय लोक-महत्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा करने के प्रयोजन से सभा को स्थगित करने के प्रस्ताव का अधिकार निम्नलिखित निर्बन्धनों के अधीन होगा, अर्थात् :-

(1) एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जायेगा;

(2) एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी;

(3) प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा;

(4) प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा;

(5) प्रस्ताव में उस विषय पर फिर चर्चा नहीं की जायेगी जिस पर उस सत्र में चर्चा की जा चुकी हो.

(6) प्रस्ताव में उस विषय की पूर्वाशा न की जायेगी जो विचार के लिये पहले ही नियत किया जा चुका हो यह निर्धारित करने के लिये कि पूर्वाशा के आधार पर चर्चा नियत वाह्य है या नहीं, अध्यक्ष उचित समय के भीतर पूर्वाशित विषय के सभा के सामने आने की संभाव्यता का ध्यान रखेगा.

(7) प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के संबंध में नहीं होगा जो प्रदेश के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हों, और

(8) प्रस्ताव में कोई प्रश्न नहीं उठाया जायेगा जो संविधान या इन नियमों के अन्तर्गत सचिव को लिखित सूचना देकर अलग आम प्रस्ताव द्वारा ही उठाया जा सकता है.

55-क. साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिये हो जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लंबित हों :

परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सभा में उठाने की अनुमति दे सकेगा जो जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से संबंधित हों, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाये कि इससे संविहित न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है.

स्थगन प्रस्ताव करने की अनुमति मांगने की रीति.

56. (1) यदि अध्यक्ष नियम 53 के अधीन सम्मति दे और यह ठहराये कि चर्चा के लिये प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है, तो वह संबंधित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और सभा के स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेगा :

परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 53 के अधीन अपनी सम्मति देने के इंकार कर दिया हो या उसकी राय हो कि चर्चा के लिये प्रस्तावित विषय नियमानुकूल नहीं है तो वह यदि आवश्यक समझे, उस प्रस्ताव की सूचना पढ़कर सुना सकेगा और सम्मति देने से इंकार करना या प्रस्ताव को नियमानुकूल न ठहराने के कारण बता सकेगा :

परन्तु यह और भी कि जब अध्यक्ष को उसमें वर्णित विषय के संबंध में पूर्ण जानकारी न हो तो वह अपनी सम्मति देने या इंकार करने के पहले उस प्रस्ताव की सूचना को पढ़ेगा और मंत्री और/या संबंधित सदस्यों के तथ्यों के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य सुनेगा और तब प्रस्ताव की ग्राह्यता के संबंध में अपना निर्णय देगा.

(2) यदि अनुमति दी जाने पर आपत्ति की जाये तो अध्यक्ष उन सदस्यों से जो अनुमति दी जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने के लिये कहेगा और यदि तद्नुसार खड़े होने वाले सदस्यों की संख्या तत्समय गणपूर्ति के लिये सदस्यों की आवश्यक संख्या से कम न हो तो अध्यक्ष सूचित करेगा कि अनुमति दी जाती है. यदि पूर्वोक्त संख्या से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेगा कि उसे सभा की अनुमति नहीं है.

प्रस्ताव को लेने का समय.

57. प्रस्ताव 15.00 बजे या यदि सभा नेता से परामर्श के पश्चात् अध्यक्ष ऐसा निर्देश दे तो उससे पहले किसी भी समय, जबकि उस दिन का कार्य समाप्त हो जाय, लिया जायेगा.

चर्चा के लिये समय-सीमा.

58. (1) जिस समय से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हो, उससे दो घंटे बीत जाने पर, यदि वाद-विवाद पहले ही समाप्त न हो चुका हो, तो वह आप ही समाप्त हो जायेगा और तत्पश्चात् कोई प्रश्न न रखा जा सकेगा.

(2) वाद-विवाद में कोई भी भाषण अध्यक्ष की अनुमति के बिना पन्द्रह मिनट से अधिक अवधि का न होगा.